भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1159

09 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थी

1159. श्री एम. के. राघवन:

श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची में बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्ति शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमएवाई-यू का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कोझिकोड शहर के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या कितनी है और कुल कितनी परियोजनाएं अनुमोदन के लिए लंबित हैं;

(ङ) क्या पंचायतों द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार का पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ते समय प्रारंभिक सर्वेक्षण में इसी प्रकार की विसंगतियों की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार पंचायत स्तर पर प्रारंभिक सर्वेक्षण में पक्षपात और अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई अन्य पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सभी के लिए आवास' मिशन कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण

(बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्वस्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएवाई-यू के बीएलसी/आईएसएसआर/एएचपी घटक के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) भारत में कहीं भी अपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं हो।

(ii) 3 लाख रूपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो।

(iii) मिशन के बीएलसी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का स्वामित्व हो।

पीएमएवाई-यू प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है ताकि आगे केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता के लिए मंजूरी मिल सके। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन के लिए, अनुमोदन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों की कई स्तरों पर जांच की जाती है। बीएलसी/आईएसएसआर घटक के तहत लाभार्थियों का चयन परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में किया जाता है। एएचपी घटक के तहत, साइट पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। हालांकि, परियोजना अवधि के दौरान, यदि एएचपी घटक के तहत कोई लाभार्थी अपने योगदान का भुगतान करने में असमर्थ है या अपात्र पाया जाता है, तो आवंटन के समय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से अन्य पात्र लाभार्थियों पर एएचपी आवासों के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। समय-समय पर, पहले से स्वीकृत परियोजनाओं में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरोध करने पर, लाभार्थियों को जोड़ने/हटाने का काम संबंधित एसएलएसएमसी के पूर्व अनुमोदन से किया जाता है। लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। कोझिकोड शहर के लिए पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द आवासों की कुल संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ङ) और (च): कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान पीएमएवाई-यू के संबंध में अनियमितता/शिकायत/अभ्यावेदन के किसी भी मामले, जिसमें अपात्र आवेदकों के मामले भी शामिल हैं, का मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहर दोनों स्तरों पर उपलब्ध उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणा ली के माध्यम से निपटान किया जाता है। इसके अलावा, निवारण के लिए पीएमएवाई-यू सहित सेवा डिलेवरी से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी उपलब्ध है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन और इसके त्वरित निपटान के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए एक जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली भी विकसित की है।

*****

दिनाकं 09.02.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- I

पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत आवासों का केरल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(दिनांक 23.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवास (सं.)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	20,74,765
2		बिहार	3,27,315
3		छत्तीसगढ	3,06,034
4		गोवा	3,150
5		गुजरात	10,60,376
6		हरियाणा	1,66,671
7		हिमाचल प्रदेश	13,249
8		झारखंड	2,34,369
9		कर्नाटक	7,06,320
10		केरल	1,66,661
11		मध्य प्रदेश	9,60,256
12		महाराष्ट्र	15,11,989
13		ओडिशा	2,13,845
14		पंजाब	1,32,895
15		राजस्थान	2,76,746
16		तमिलनाडु	6,88,854
17		तेलंगाना	2,49,465
18		उत्तर प्रदेश	16,89,673
19		उत्तराखंड	62,762
20		पश्चिम बंगाल	6,91,146
उप योग (राज्य)			1,15,36,541
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरूणाचल प्रदेश	9,002
22		असम	1,61,476
23		मणिपुर	56,037
24		मेघालय	4,759
25		मिजोरम	40,756
26		नागालैंड	32,335
27		सिक्किम	704
28		त्रिपुरा	94,162
उप योग (पूर्वोत्तर राज्य)			3,99,231
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	378
30		चंडीगढ़	1,271
31		दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,480
32		दिल्ली	30,194
33		जम्मू और कश्मीर	49,146
34		लद्दाख	1,366
35		लक्षद्वीप	-
36		पुदुचेरी	16,394
उप योग (यूटी)			1,09,229
कुल			120.45 लाख**

** 31.3.2022 तक स्वीकृत 122.69 लाख आवासों में से 2.24 लाख निर्माण न शुरू किए आवासों में कुछ राज्यों द्वारा कटौती की गई है, जिनके लिए राज्यों को बीएलसी घटक के तहत नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं।

दिनाकं 09.02.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के उतर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

कोझिकोड शहर के लिए पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द आवासों की कुल संख्या

(दिनांक 23.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विवरण	पीएमएवाई-यू के तहत उपलब्धि
1	स्वीकृत आवास	6,561
2	निर्माणाधीन आवास	5,471
3	पूर्ण/सुपुर्द आवास	4,194